समक्ष [redacted] न्यायालय राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

आनंद सरन

आत्मज श्री के0 एस0 श्रीवास्तव

निवासी पश्चिम बुधवारी छिन्दवाड़ा

आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन

द्वारा– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स (पंजीयक)

छिन्दवाड़ा

अनावेदक

आदेश दिनांक 08/01/2016 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :–

1. यह कि आवेदक ने आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र0 50बी–105/2007–08 दिनांक 06/11/2005 में पारित आदेश जिसके द्वारा प्रकरण क्र0 57बी–105/2004–05 दिनांक 21/06/2005 में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई थी से व्यथित हो इस माननीय न्यायालय में अपील प्रकरण क्र0 383(PBR)/2010 प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 08/01/2016 को अस्वीकार किया गया है। जो श्री एम. के सिंह पूर्व सदस्य द्वारा पारित किया गया है।

2. यह कि आवेदक ने अन्य के अलावा निम्नलिखित आधारों पर अपील / पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था –

(क) आवेदक के पिता तथा आवेदक के चाचा दोनों, नजूल प्लाट नम्बर 737 रकबा 5138 वर्गफुट ब्लाक नम्बर 22, पश्चिम बुधवारी छिन्दवाड़ा के सह स्थायी पट्टाधारी है और उन दोनों ने अपने स्वयं के धन से उक्त प्लाट पर एक कॉम्पलेक्स बनाया था और उसमें कई दुकाने निर्मित किया था जिसमें से एक दुकान रजिस्ट्री विक्रयपत्र द्वारा आवेदक को अंतरित की गई है।

(ख) बैनामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि **दुकान की जमीन** और **दुकान की छत विक्रेतागणों** ने क्रेता आवेदक को नहीं बेचा है। **जमीन और छत पर स्वत्व हक और हित विक्रेतागण का ही कायम रहेगा।**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 9026– एक / 16 जिला –छिन्दवाडा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
2-5-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनकी बहस रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसी के आधार पर निर्णय लिया जावे। अनावेदक अधिवक्ता शासन की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि आवेदक द्वारा जो रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह राजस्व मण्डल न्यायालय में चलने योग्य नहीं है । तथा प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जावे। 2– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये । मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन रिव्यु का वारीकी से अध्ययन किया गया । शासन के अधिवक्ता का तर्क मान्य योग्य होने के कारण प्रकरण इस न्यायालय में चलने योग्य न होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	